संख्याः–759 /IV(1)/2015–01(32)/2014

प्रेषक,

डी0एस0गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 12 जून, 2015

विषयः– **प्रदेश के नगर पंचायतों में पालिका केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के पदों के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः–756/IV(1)/2015–01(32)/2014 दिनांक 12 जून, 2015 द्वारा निर्धारित नगर पंचायतों की श्रेणीवार मानकों/स्वीकृत पदों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के नगर पंचायतों के संरचनात्मक ढॉचे के पुनर्गठन के उपरान्त पालिका केन्द्रीयित सेवा तथा पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के विभिन्न सेवा संवर्गो में तत्काल प्रभाव से संलग्नक–1 में उल्लिखित 07 सेवा संवर्ग यथा–पालिका प्रशासी सेवा, पालिका अभियन्त्रण सेवा, पालिका राजस्व सेवा, पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा, पालिका लेखा सेवा, पालिका मिनिस्ट्रियल सेवा तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत पालिका केन्द्रीयित सेवा एवं पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पदों के सृजन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. स्थानीय निकायों में पुनर्गठन के फलस्वरूप स्वीकृत ढांचे में पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत समस्त चतुर्थ श्रेणी संवर्ग, कनिष्ठ सहायक, लेखा लिपिक,कर संग्रहकर्ता/कर एवं राजस्व मौहर्रिर, मानचित्रकार, पर्यावरण पर्यवेक्षक को छोडकर उक्त पदों से उच्च स्वीकृत सभी पदों को पालिका केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए राज्य स्तरीय पालिका केन्द्रीयित सेवा संवर्ग में स्वीकृत किये गये है। पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के पदों पर निकायों में कार्यरत समूह 'ग' की निकायवार ज्येष्ठता सूची सम्बन्धित निकायों द्वारा निर्धारित कर निर्गत की जायेगी तथा निकायवार ज्येष्ठता सूची के आधार पर पालिका केन्द्रीयित सेवा के पदों पर पदोन्नति आदि हेतु राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा निर्धारित कर जारी की जायेगी। उच्च पदों पर नियमानुसार प्रोन्नति/नियुक्ति संगत सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधनोंपरान्त शासन/निदेशालय द्वारा की जायेंगी।
2. स्वीकृत पुनर्गठन ढांचे में पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु पृथक से संगत सेवा नियमावली प्रख्यापित की जायेगी। नियमावली प्रख्यापित होने तक शासन/निदेशालय के अग्रिम आदेशों तक ऐसे पदों पर किसी भी दशा में कोई भी नियमित नियुक्ति नहीं की जायेंगी।
3. पालिका केन्द्रीयित सेवा के सृजित किये गये पदों पर भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रचलित (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) संगत सेवा नियमावलियो/नियमों के अधीन की जायेगी। किसी भी

14

दशा में स्थानीय स्तर पर पालिका केन्द्रीयित सेवा के पदों पर भर्ती, नियुक्ति/प्रोन्नति नहीं की जायेगी।

4. पुनर्गठन के फलस्वरूप स्वीकृत ढांचे में सफाई कर्मचारियों के पूर्व पदनाम को परिवर्तित कर **"पर्यावरण मित्र"** तथा सफाई नायक के पदनाम को परिवर्तित कर **"पर्यावरण पर्यवेक्षक"** रखा जाता है।

5. शासन द्वारा दैनिक वेतन/संविदा/तदर्थ आदि नियुक्तियों पर पूर्व में ही प्रतिबन्ध लगाया गया है। अतः स्वीकृत पालिका केन्द्रीयित सेवा/पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के पदों पर किसी भी दशा में दैनिक वेतन/संविदा/तदर्थ नियुक्तियां स्थानीय स्तर पर नहीं की जायेंगी। पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत नियमित नियुक्ति होने तक आवश्यकतानुसार स्वीकृत पदों की सीमा तक शासन द्वारा निर्धारित आउटसोसिंग एजेन्सी आदि के माध्यम से निकाय अपनी वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत तैनाती करेगा। ऐसे तैनात कार्मिकों को तैनाती से पूर्व यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि उनका नियमित नियुक्ति/वेतनमान प्रदान करने का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा तथा नियमित नियुक्ति होने पर सम्बन्धित कार्मिक को तत्काल हटा दिया जायेगा।

6. स्वीकृत ढांचे के विरूद्ध यदि किसी भी प्रकार की कोई अनियमित नियुक्ति की जाती है तो सम्बन्धित नगर निकाय के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे, जिसके लिए सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेंगी और सम्बन्धित को किये गये अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित निकाय के आहरण वितरण अधिकारी से की जायेगी।

7. स्वीकृत किये जा रहे पुनर्गठन ढांचे में पूर्व स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के समस्त पद मृत संवर्ग (डाइंग कैडर) घोषित होने के दृष्टिगत स्वीकृत ढांचे में ऐसे कार्मिकों में से परिचारक, चौकीदार क्लीनर, बेलदार, को वहुउद्देशीय निकाय कर्मी स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में ऐसे कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अन्तर तक ही बहुउद्देशीय कर्मी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जा सकेगें।

8. निकायों में पूर्व सृजित टोल महोर्रिर, भिश्ती, पशुचिकित्सा अधिकारी, वैध/हकीम श्रेणी–3, कम्पाउंडर, दाई, लोहार, मेसन, टीकाकार,, मेसन, वन रक्षक, सहा0अध्यापिका, लाईब्रेरियन, आदि पदों की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत समाप्त किया गया है। उक्त पदों पर वर्तमान में कार्यरत कार्मिक पूर्व की भांति कार्य करते रहेगें, उनकी सेवा निवृत्ति/मृत्यु के पश्चात सम्बन्धित पद स्वतः समाप्त हो जायेगें। निकायों में पूर्व से सृजित चतुर्थ श्रेणी संवर्ग सहित अन्य मृत संवर्ग के पदों पद कार्यरत कार्मिक अपने पदो पर बने रहेंगे तथा ऐसे कार्मिको की मृत्यु/सेवानिवृत्ति के फलस्वरुप उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। पदधारकों की मृत्यु उपरान्त मृतक आश्रित को छोडकर किसी प्रकार की कोई नियमित नियुक्ति नहीं की जायेगी।

9. श्रेणीवार स्थानीय निकायों में स्वीकृत उक्त सेवा संवर्गो में स्थानीय निकायों के स्वीकृत ढ़ाचें में जिन निकायो में पूर्व स्वीकृत पद मानक के आधार पर कम हो रहे है, ऐसी निकायों में पूर्व स्वीकृत पद यथावत रहेंगे, किन्तु ऐसे पद धारकों की सेवा निवृत्ति/मृत्यु के फलस्वरुप स्वीकृत पदों की सीमा तक स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मृतक आश्रित को छोड़कर कोई नियमित नियुक्ति नहीं की जायेगी।

10. स्वीकृत ढांचे के अतिरिक्त नगर निकाय अपनी आवश्यकता/आय श्रोतों के दृष्टिगत यदि किसी कार्मिक की तैनाती आउटसोर्सिंग के माध्यम से करना चाहती है, तो इस हेतु सम्बन्धित निकाय द्वारा निदेशालय के माध्यम से शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। शासन की अनुमति पश्चात् ही सम्बन्धित कार्मिक को मानदेय आदि का भुगतान सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वहन किया जायेगा।

11. पुनर्गठन के फलस्वरूप निकायवार स्वीकृत ढांचे का अनुमोदन अनिवार्य रूप से सम्बन्धित नगर पंचायत, द्वारा अपने बोर्ड से प्राप्त किया जायेगा।

12. शासन द्वारा जनसंख्या आदि के आधार पर विभक्त श्रेणियों, पदों हेतु स्वीकृत/निर्धारित मानकों के आधार पर समय–समय पर नवगठित/उच्चीकृत होने वाली स्थानीय निकायों में पालिका केन्द्रीयित सेवा तथा पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के पदों का ढांचा स्वतः लागू होगा।

13. पालिका केन्द्रीयित सेवा/पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के स्वीकृत पुर्नगठन ढांचे में पालिका केन्द्रीयित सेवा संवर्ग के स्वीकृत ढॉचे के फलस्वरूप होने वाला अतिरिक्त व्यय भार का भुगतान राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर संक्रमित अनुदान (Devolution Grant) से किया जाता है। स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त कम पड़ने वाले व्ययभार को सम्बन्धित नगर पंचायत अपने स्वयं के संसाधनों से वहन करेंगी।

14. उक्त के फलस्वरूप पालिका केन्द्रीयित सेवा के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–2006/न0वि0/अभि0/2001–264/न0वि0/2001,दिनांक 01–08–2001 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्याः–134(C)/XXXII(2)/2015 दिनांक 11 जून, 2015 में प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0गर्ब्याल)
सचिव।

संख्याः–759(1)/IV–1/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
5. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाय, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईवर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड,देहरादून।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(डा0वी0षणमुगम)
अपर सचिव।